

वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 105/2025

1. दिलबाग सिंह पुत्र जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज0।
2. सुखविन्द्र सिंह पुत्र जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़राज0।
3. दर्शन सिंह पुत्र जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखानतह. संगरियाजिला हनुमानगढ़राज0।
4. कुलविन्द्र सिंह पुत्र जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज0।

वादीगण

बनाम

जगदेवसिंह पुत्र जंग सिंह जाति जटसिख नि.मोरजण्ड सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज0।

तहसीलदार राजस्व संगरिया।

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इन्फिर्माल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री कुलदीप सिंह संरा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री दीपक बिश्नोई वकील प्रतिवादी संख्या 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 7 एमजेडी खाता संख्या 159/51 जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 व चक 13 एएमपी खाता संख्या 64/47 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 एवं चक 10 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 36/51 जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 में नहरी मय गै.मु.आराजी मे निम्नानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर वादीगण एवं प्रतिवादी का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

(क) वादी सं. 1 दिलबाग सिंह के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि:- चक नं. 7 एम.जे.डी. खाता संख्या 159/51

प.न.	मु.न.	कि.न.
149/175	17	16/1/0.228, 16/2/0.025 है. गै.मु.खाला 25/1/0.228, 25/2/0.025 है. गै.मु.खाला
150/175	18	11/0.126 है. कुल 0.632 है मय गै.मु कुल 0.632 हैक्ट. मय गै.मु.खाला कृषि भूमि

(ख) वादी सं. 2 सुखविन्द्र सिंह के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि:- चक नं. 10 एन.टी.डब्ल्यू खाता संख्या 36/51

प.न.	मु.न.	कि.न.
151/172	48	9/0.253, 12/0.253, 13/0.253 है.
152/169	5	17/0.126 है.

चक नं. 13 ए.एम.पी. के खाता सं. 64/47

151/169 41 6/0.253, कुल 1.138 है. कृषि भूमि

(ग) वादी सं. 3 दर्शन सिंह के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि:- चक नं. 10 एन.टी.डब्ल्यू खाता संख्या 36/51

प.न.	मु.न.	कि.न.
151/169	5	17/0.127 है, कुल 0.127 है

(घ) वादी सं. 4 कुलविन्द्र सिंह के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि:- चक नं. 7 एम.जे.डी. खाता संख्या 159/51

प.न.	मु.न.	कि.न.
149/176	30	5/1/0.228, 5/2/0.025 है. गै.मु.खाला 6/1/0.228, 6/2/0.025 है. गै.मु.खाला
150/175	18	11/0.127 है. कुल 0.632 है मय गै.मु. खाला

(ड) प्रतिवादी सं. 1 जगदेव सिंह के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि:- चक नं. 7 एम.जे.डी. खाता संख्या 159/51

प.न. 149/176	मु.न. 30	कि.न. 15/1/0.215, 15/2/0.025 है. गै. मु. खाला
		16/1/0.215, 16/2/0.025 है. गै. मु. खाला
		25/1/0.215, 25/2/0.025 है. गै. मु. खाला
149/177	33	5/1/0.215, 5/2/0.025 है. गै. मु. खाला

कुल 0.960 है मय गै. मु. खाला

वादी सं. 1 ता 4 के ब.हि.ब.हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:- चक नं. 7 एम.जे.डी. खाता संख्या

प.न. 149/176	मु.न. 30	कि.न. 15/3/0.013
		16/3/0.013
		25/3/0.013
149/177	33	5/3/0.013 हैक्ट. कुल 0.052 हैक्ट. रास्ता

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सहमति के आधार पर चक नं. 7 एम.जे.डी. खाता संख्या 159/51 के प.न. 149/176 मु.न. 30 के कि.न. 6 में किला न. 7 व 15 से चिपता हुआ 10X10=100 वर्गफुट रास्ता स्वीकृत किया जाता है। वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज. नल. मुब्लिक. निल. बाबत. निल. 100/- खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक अदा करें। बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 24.4.2020 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांख्यिकी
मंगरिया